न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला-बालाघाट म.प्र.

<u>दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1049 / 15</u> <u>संस्थित दिनांक 04.11.15</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन

विरुद्ध

- किस्मतलाल सोनी पिता राजाराम उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम लिंगा थाना परसवाड़ा जिला—बालाघाट म0प्र0
- 2. महेश कुमार पिता किस्मतलाल सोनी उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम लिंगा थाना परसवाडा जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

—::दिनांक <u>17.08.2016</u> को घोषित::

- . अभियुक्त किस्मतलाल पर यह अभियोग है कि उसने दिनांक 22.09.2015 को समय लगभग शाम 07:00 बजे स्थान ग्राम लिंगा में भुमेश्वर एंड के घर के सामने मेन रोड थाना परसवाड़ा में लोक मार्ग पर हीरोहोण्डा प्लस मोटरसाइकिल क् 0 एमपी 50 एमसी 3697 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा आहत जितेश्वर रांगडाले को टक्कर मारकर उपहित कारित किया तथा उक्त वाहन को बिना रिजस्टेशन, बीमा तथा वैध अनुज्ञप्ति के चलाया। जो कि भारतीय दण्ड संहिता (एतस्मिन् पश्चात् भाठदंठस०) की धारा 279, 337 एवं 3/181, 146/196, मोटर यान अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है तथा अभियुक्त महेश पर यह आरोप है कि उसने उक्त दिनांक को उक्त वाहन को बिना किसी बैध लायसेंस एवं बीमा के चलवाया जो कि मो0यान0 अधिनियम की धारा 5/180 तथा 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध है।
- 2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी खोवालाल रांगडाले ने दिनांक 22.09.2015 को थाना परसवाड़ा में इस

आशय की रिपोर्ट लिखाई कि वह उक्त दिनांक को शाम 07:30 बजे राम मंदिर की पूजा कर रहा था गांव का प्रदीप बिसेन ने आकर बताया कि उसके लडके जितेश्वर को गांव के किस्मतलाल सोनी ने मोटरसाईकिल से एक्सीडेण्ट कर दिया है जानकारी लगने पर तत्काल अपने लड़के के पास गया जिसने अपने दोस्त भूमेश्वर चकवर्ती के साथ गुणेश जी का का पैर पढ़कर आते समय भूमेश्वर एडे के घर के सामने मेन रोड पर पीछे तरफ से तेज गति से लापरवाहीपूर्वक मोटर साईकिल चलाते किस्मतलाल सोनी द्वारा ठोस मारने एवं गिरने से चोट आने से फरियादी की रिपोर्ट पर थाना परसवाड़ा में अपराध क0 106/15 धारा 279, 337 भा0दं०स0 पंजीबद्ध कर आहत का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा बनाया गया तथा फरियादी खोवालाल तथा जितेश्वर, दीपक चक्रवर्ती, प्रदीप बिसेन भूमेश्वर एडे तथा अन्य के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना उपरांत यह अभियोग पत्र भां0ंद0ंस0 की धारा 279, 337 तथा धारा 3 / 181, 5 / 180,146 / 196 मो0यान0अधि० के तहत दण्डनीय अपराध के विचारण हेत् न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 3. अभियुक्तगण को अपराध विवरण की विशिष्टिया पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर उसने अपराध किया जाना अस्वीकार किया है। आरोपी का विचारण किया गया। विचारण के दौरान दिनांक 16.08. 2016 को फरियादी/आहत खोवालाल द्वारा आरोपीगण किस्मतलाल सोनी एवं महेश कुमार से राजीनामा कर लिये जाने के कारण आरोपी किस्मतलाल सोनी को भाठदंठसंठ की धारा 337 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया है। शेष आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279 भाठदठसंठ तथा 05/180,146/196, 3/181 मोठयानठ अधिनियम के संबंध में फरियादी की साक्ष्य में आरोपी महेश कुमार के विरूद्ध कोई तथ्य एवं परिस्थितियां प्रकट न होने से आरोपी महेश कुमार का अभियुक्त परीक्षण कथन अंर्तगत धारा 313 जाठफोठ अंकित नहीं किया जा सका है। अभियुक्त किस्मतलाल का अभियुक्त परीक्षण कथन वंक्व किस्मतलाल ने स्वयं का निर्दोष होकर झूठा फसाना बताया है।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:—
 - 1. क्या आरोपी किस्मतलाल सोनी ने दिनांक 22.09.2015 को समय लगभग शाम 07:00 बजे स्थान ग्राम लिंगा

भूमेश्वर एडे के घर के सामने लोक मार्ग पर थाना परसवाड़ा पर वाहन मोटर साइकिल कमांक एमपी 50 एमसी 3697 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया ?

- 2. क्या आरोपी किस्मतलाल ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया ?
- 3. क्या आरोपी किस्मतलाल ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया ?
- 4. क्या आरोपी किस्मतलाल ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के चलाया २
- 5. क्या आरोपी महेश कुमार ने उक्त घटना दिनांक, समय, स्थान पर उपरोक्त वाहन को बिना वैध लायसेंस एवं बीमा के चलवाया ?

-:सकारण निष्कर्ष:-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1,2,3,4 तथा 5

साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

- 5. आहत जितेश्वर अ०सा० 1 का कथन है कि घटना लगभग 4 वर्ष पूर्व शाम पौने छः से पौने सात बजे की है। जब वह और उसका दोस्त दीपक अपने घर वापिस आ रहे थे। भूमेश्वर एडे के घर के सामने आरोपी किस्मतलाल ने अपनी हीरोहाण्डा स्पलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल से उसे टक्कर मार दिया था। टक्कर लगने से वह गिर गया था और बहोश हो गया था तथा उसे पैर एवं घुटने में चोट आयी थी। आरोपी किस्मतलाल गाड़ी को दारू पीकर चला रहा था जो कि टक्कर मारने के बाद वहां से भाग गया था। घटना की जानकारी प्रदीप बिसेन ने उसके घर जाकर उसके पिता को दी थी जिसके बाद उसके पिता ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी।
- 6. घटना की पुष्टि खोवालाल अ०सा०२ ने की है, उक्त साक्षी के अनुसार वह मंदिर में पूजा करने गया था तथी गावं के लड़के ने उसे आकर बताया कि आरोपी किस्मतलाल ने उसके बच्चे का मोटरसाइकिल से एक्सीडेण्ट कर दिया है। उक्त संबंध में उसने परसवाड़ा थाने में घटना की पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.1 दर्ज करायी थी तथा पुलिसवालों ने उसके बताये अनुसार घटना का मौकानक्शा तैयार किया था उक्त दस्तावेजों के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने स्वीकार किया है कि उसके लड़के ने उसे बताया था कि अभियुक्त किरमतलाल ने लापरवाहीपूर्वक अपने वाहन को चलाकर उसे टक्कर मारी थी। घटना के अन्य साक्षी भूमेश्वर एडे अ०सा० 3 तथा प्रदीप अ०सा० 4 ने घटना के पश्चात अन्य व्यक्तियों से अभियुक्त किरमतलाल द्वारा एक्सीडेण्ट करने की जानकारी होना व्यक्त किया है। अभियोजन साक्ष्य में लोकमार्ग पर कथित वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने के तथ्यों का पूर्णतः अभाव है। घटना में आहत जितेश्वर अ०सा० 1 ने यह स्वीकार किया है कि पीछे से टक्कर होने के कारण वह गाड़ी की गित बताने में असमर्थ है। यद्यपि उसने अभियुक्त किरमतलाल की गलती से दुर्घटना होने का कथन किया है। तथापि अभियुक्त किरमतलाल की कथित गलती के संबंध में साक्ष्य का अभाव है। अन्य अभियोजन साक्षी घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं।

- इस प्रकार किसी भी साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्ष्य में ऐसी कोई भी तथ्य एवं परिस्थितियां प्रकट नहीं की गयी हैं जिससे यह दर्शित हो कि आरोपी घटना दिनांक को घटना के समय उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चला रहा था। साथ ही बीमा रजिस्ट्रेशन तथा लायसेंस के संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव रहा है।
- . अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त किस्मतलाल सोनी ने दिनांक 22.09.2015 को समय लगभग शाम 07:00 बजे स्थान ग्राम लिंगा में भूमेश्वर एडे के घर के सामने अंतर्गत थाना परसवाड़ा में लोक मार्ग पर मोटरसाइकिल क0 एमपी 50 एमसी 3697 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को बिना रिजस्टेशन, बीमा तथा वैध अनुज्ञप्ति के चलाया। तथा अभियुक्त महेश द्वारा उक्त वाहन को बिना लायसेंस तथा बीमा के चलवाया। अतः अभियुक्त किस्मतलाल सोनी को भा.दं०सं० की धारा 279 तथा धारा 3/181, 146/196 मो0यान0 अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध तथा अभियुक्त मेहश कुमार को धारा 5/180, 146/196 मो0यान अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है।
- 9. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।

- प्रकरण में जप्तसुदा संपत्ति वाहन कमांक एमपी 50 एमसी 3697 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष मे उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावें।
- आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फी0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

दिनांक -17.08.2016 स्थान – बैहर (म.प्र.)

मेरे निर्देष पर टंकित किया गया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट म.प्र. बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

all the state of t